भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1609

गुरूवार, 3 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन से होने वाली आय

1609 श्री संदोष कुमार पी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से पर्यटन और संबंधित गतिविधियों से कुल कितनी आय हुई है;

(ख) वर्ष 2021 से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पर्यटन और संबंधित गतिविधियों से कुल कितनी आय अर्जित की गई है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी विशेष योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : पर्यटन मंत्रालय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यटन तथा संबंधित कार्यकलापों से होने वाली आय का डाटा तैयार नहीं करता है तथापि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत में पर्यटन सकल घरेलू उत्पाद (टीजीडीपी) का विवरण नीचे दिया गया है:-

पर्यटन सकल घरेलू उत्पाद (टीजीडीपी)	2019-20	2020-21	2021-22
पर्यटन प्रत्यक्ष जीडीपी (लाख रु. में)	54116758	15465752	21618543
पर्यटन अप्रत्यक्ष जीडीपी (लाख रु. में)	50057946	14277547	19950360
कुल पर्यटन जीडीपी (लाख रु. में)	104174704	29743299	41568903

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2023 और तीसरा पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट (टीएसए) – 2015-16

वर्ष 2019 से 2023 (जनवरी से मई) के दौरान पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय (एफईई) का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	पर्यटन से प्राप्त एफईई (करोड़ रु. में)
2019	216467
2020#2	50136
2021#2	65070
2022#1	134543
2023#1 (जनवरी से मई)	88441

#1 अनंतिम अनुमान

#2 संशोधित अनुमान

(ग): पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठा रहा है/ पहलें शुरू कर रहा है:

i. देश में पर्यटक संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना आरंभ की। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है ।

ii. देश भर में चिह्नित तीर्थयात्रा और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के लिए तीर्थस्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया ।

iii. 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन

iv. 167 देशों के नागरिकों के लिए पाँच उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिज़नेस वीज़ा, ई-चिकित्सा वीज़ा, ई-चिकित्सा सहयोगी वीज़ा और ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई- वीज़ा की सुविधा प्रदान करना ।

v. ई- वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है ।

vi. विशेष रूचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'निश पर्यटन' उत्पादों का विकास और संवर्धन तथा यह सुनिश्चित करना कि जिन विशिष्ट उत्पादों में भारत को तुलनात्मक लाभ है उनके लिए पर्यटकों द्वारा बार-बार यात्राएं की जाएं ।

vii. देश के विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन सृजक बाजारों में भारत का समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन ताकि वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके । इन उद्देश्यों को यात्रा व्यवसाय, राज्य सरकारों और भारतीय मिशनों के सहयोग से एकीकृत विपणन और संवर्धनात्मक कार्यनीति तथा समन्वित अभियान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । सरकार औद्योगिक विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखती है और भारत के विविध पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए उनसे सुझाव और प्रतिक्रिया लेती है ।

viii. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रम चलाना ।

ix. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं ।

x. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए 1001/- रु. से 7,500/- रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% और 7,501/- रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर 18% कर दिया गया।

xi. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर आरसीएस उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा चिह्नित एयरलाइनों को 61 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं ।

xii. आगंतुकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "इन्क्रेडिबल इंडिया! विजिट इंडिया वर्ष 2023" घोषित किया है ।

*****